संख्या– /VI-4/2025–59(14)23 (CP No-67286)

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : नवम्बर, 2025

विषय :– प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल स्वयंसेवकों को प्रदान की जाने वाली वर्दी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त प्रत्येक 02 वर्ष पर प्रदान की जाने वाली वर्दी की दर रू0 1500/– से बढ़ाकर रू0 2500/– किये जाने तथा वर्दी का सैट निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित करते हुए प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0	01 सैट वर्दी की मदें	सामान्य वर्दी/गर्म वर्दी
1.	कमीज टेरीकोट (खाकी)	सामान्य वर्दी
2.	पैन्ट टेरीकोट (खाकी)	
3.	डी0एम0एस0 बूट (काला)	
4.	मोजा जोड़ा (खाकी)	
5.	वैब बैल्ट (खाकी)	
6.	बैरेट कैप (खाकी)	
7.	सीटी गोल	
8.	सीटी डोरी (खाकी)	
9.	कन्धा बैज (उत्तराखण्ड पी0आर0डी0)	
10.	टोपी बैज (पी0आर0डी0 मोनोग्राम के साथ) गर्म वर्दी की मदें	
11.	कमीज अंगूरा (खाकी)	गर्म वर्दी
12.	पैन्ट अंगूरा (खाकी)	
13.	जर्सी ऊनी (खाकी)	
14.	जैकेट फर वाली (खाकी–बैक साईड में उत्तराखण्ड पी0आर0डी0 लिखा हुआ)	

2. वर्दीधारी पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक 02 वर्ष में उक्त सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। लेकिन इस मध्य किसी भी प्रकार के होने वाले प्रशिक्षण पर उक्त सुविधा मान्य नहीं होगी।

3. प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल स्वयंसेवकों की वर्दी में एकरूपता रहे इस हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता का चयन करते हुए पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को सिली हुई वर्दी दी जायेगी।

4. आपूर्तिकर्ता द्वारा पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का माप (कमीज, पैन्ट, जर्सी, जूता इत्यादि) लेकर वर्दी बनायी जायेगी, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या न हो।

5. प्रत्येक सैट वर्दी की अधिकतम दर रू0 2500/– होगी। निविदा में यदि दरें कम प्राप्त होती हैं, तो निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों पर ही क्रय आदेश निर्गत किये जायेगें।

6. उक्त वर्दी शान्ति सुरक्षा कार्यों में तैनात पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों हेतु ही अनुमन्य होगी।

7. वर्दी प्रथम बार प्रशिक्षण के समय एवं तदोपरान्त ड्यूटी में तैनात पी0आर0डी0 स्वयं सेवक को जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 02 वर्ष के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

8. वर्दी आवंटन से सम्बन्धित समुचित ब्यौरा जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारियों के स्तर पर व्यवस्थित किया जायेगा।

9. विशेष अवसरों यथा चार धाम यात्राओं आदि पर उक्त सुविधा निर्धारित सीमान्तर्गत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित स्वयंसेवका को वर्दी उपलब्ध कराये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. पुनरीक्षित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

12. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/347490/2025 दिनांक 25.11.2025 में प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Amit Kumar Sinha
Date: 28-11-2025
16:47:52

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2025–59(14)23 (CP No-67286), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
GARIMA RAUNKALI
Date: 28-11-2025
14:10:13

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव